।। कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।।

–:: प्रेस नोट ::–

दिनांक : 11.05.2022

जोधपुर आयुक्तालय में दिनांक 03.05.2022 से लागू किया गया कर्फ्यू पूर्व में दिनांक 09.05.2022 को जिला पूर्व के थाना सदरकोतवाली, सदरबाजार, नागोरी गेट, खाण्डाफलसा का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जिला पश्चिम के थाना प्रतापनगर सदर, सूरसागर, सरदारपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक बढ़ाया गया था, जो जारी रहेगा।

पूर्व में प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक कर्फ्यू में पूर्ण छूट प्रदान की गई थी, जो दिनांक 12.05.2022 से प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक कर्फ्यू में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है। छूट की अवधि के दौरान बाजार व समस्त संस्थान सामान्य दिनों की तरह संचालित हो सकेंगे।

रात्रिकालीन कर्फ्यू में चिकित्सकीय आपातकाल, चिकित्सा सेवा से सम्बन्धित कर्मी व पत्रकार/मीडियाकर्मीयों द्वारा परिचय पत्र/दस्तावेज दिखाने पर अनुमति होगी। समाचार पत्र वितरक (हॉकर्स) को समाचार पत्र वितरण की अनुमति होगी। अन्य विशेष परिस्थितियों में अति–आवश्यक होने पर कर्फ्यू में निकलने के लिए सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त व सम्बन्धित थानाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जा सकेंगी।

ओर से/-
(राजकुमार चौधरी)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर